न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 03/2025(GCMS 2025/9)

(आरटीआई संख्या 212837642923922)

श्री भजन लाल पुत्र श्री साहबराम निवासी वार्ड नं. 1, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) (मोबाईल नं. 79768–60568)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, **सूरतगढ़**

24.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भजन लाल स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भजन लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **एक बिन्दु की सूचना चाही थी :**

1. दिनांक 29.02.1968 को श्रीमान् जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा चक 16 एमएमएच में पत्थर नं. 129/284 के मु.नं. 49 में 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कोहला को पुख्ता अलॉट (किमतन) हुई, जिसकी अलॉटमेंट फाईल की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति देने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक 2025/06 दिनांक 28.01.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत और प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री भजनलाल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.02.1968 को जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा चक 16 एचएमएच में पत्थर नम्बर 129/284 के मु.न. 49 में 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कोहला को पुख्ता अलॉट (कीमतन) हुई जिसकी अलॉटमेंट फाईल की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। श्रीमानजी से निवेदन है कि जिला श्रीगंगानगर का अभिलेख द्वारा उप जिला अभिलेखागार में जमा नहीं है। अतः श्रीमानजी उक्त अपील को निरस्त करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में [illegible] उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में सुझाव देना, किसी परिवेदना के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:14:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:44:08 IST
Reason: SelfAttested